न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 129 / 2019

उनवान

नूर मौहम्मद पुत्र जमाल खां उर्फ भंवर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री एम0 जे0 राजकुमार

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राज0 काश्त0 अधि0 1955 एवं धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 25/1/22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 8303 / 10481 रकबा 0.25 व 8313 रकबा 1.21 की आराजी वादी की खातेदारी / काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी कदीम से काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु दौराने बंदोबस्त हाल जमाबंदी बनाते समय अधिकार अभिलेख में नूर खां पुत्र भंवर दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम नूर खां पुत्र जमाल उर्फ भंवर खां है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी व उसके पिता का नाम दुरूस्त किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी में नूर खां पुत्र भंवर खां जाति मुसलमान दर्ज है। जिसको वादी आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र अनुसार नूर मौहम्मद पुत्र जमाल खां कराना चाहता है।

प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा में वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश किया एवं राजस्व अभिलेख, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि पेश किये।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8303 / 10481 रकबा 0.25 व 8313

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बा 1.21 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में नूर खां पुत्र भंवर खां के नाम दर्ज है। उक्त राजी के वंर्किग खसरा नम्बर 6121 व 6138 बने है जो नूर खां पुत्र भंवर खां के नाम ही दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी में उसका व उसके पिता का नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत पंचायत प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड के अनुसार वादी का नाम नूर मौहम्मद व पिता का नाम जमाल खां है। वाद में कोई खण्डन नही है। राज0 पैरोकार ने भी वाद के खण्डन हेतु ठोस दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही किये है। पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार भी नूर खां व नूर मौहम्मद तथा जमाल खां उर्फ भंवर खां एक ही व्यक्ति है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से वाद के कथनों की पुष्टि होती है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8303/10481 रकबा 0.25 व 8313 रकबा 1.21 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम नूर मौहम्मद खां उर्फ नूर खां पुत्र जमाल खां उर्फ भंवर खां अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नूर बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88,188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 129 / 2019
पेश करने की दिनांक – 07.11.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक एम0जे0 राजकुमार मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8303 / 10481 रकबा 0.25 व 8313 रकबा 1.21 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम नूर मौहम्मद खां उर्फ नूर खां पुत्र जमाल खां उर्फ भंवर खां अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला ...)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक-------- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 11 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद